



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2016/फाल्गुन 7, 1937

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2016/PHALGUNA 7, 1937

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 में,-

(क) अनुसूची 1 में,-

(i) समूह सं0 1 "मशीन कर्मशाला व्यवसाय समूह" से संबंधित क्रम संख्या 1 और 2 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं0	अभिहित व्यवसाय	एन.सी.ओ.कोड सं0	सा.का.नि.सं0 502(अ) तारीख 18 जून, 2015 द्वारा लोप किया गया	शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि	संबंधित आईटीआई व्यवसाय/शिक्षुता व्यवसाय	शिक्षुता प्रशिक्षण में अनुज्ञात रिबेट	आवश्यक/वांछनीय शैक्षिक अर्हताएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"1.	फिटर	7233.10	लोप किया गया	दो वर्ष	फिटर	एक वर्ष	शिक्षा के 10+2 पद्धति

		7233.20					के अधीन विज्ञान और गणित सहित 10वीं कक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।
2.	टर्नर	8211.15	लोप किया गया	दो वर्ष	टर्नर	एक वर्ष	शिक्षा के 10+2 पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित 10वीं कक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।"।

(ii) समूह सं0 4 में, "विद्युत व्यवसाय समूह" से संबंधित क्रम सं0 1 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	इलैक्ट्रीशियन	7137.10 7241.20	लोप किया गया	दो वर्ष	इलैक्ट्रीशियन	एक वर्ष	शिक्षा के 10+2 पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।"।

(iii) समूह सं0 10 में, "ताप इंजन व्यवसाय समूह" से संबंधित क्रम सं0 1 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	मैकेनिक (मोटरयान)	7231.10	लोप किया गया	दो वर्ष	मैकेनिक (मोटरयान)	एक वर्ष	शिक्षा के 10+2 पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।"।

(iv) समूह सं0 15 में, "होटल और खानपान व्यवसाय समूह " से संबंधित क्रम सं0 1 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	खाद्य उत्पादन साधारण	1217	लोप किया गया	दो वर्ष	खाद्य उत्पादन साधारण	एक वर्ष	आठवीं कक्षा परीक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।"।

(v) समूह सं0 23 में, "इलैक्ट्रानिक व्यवसाय समूह" से संबंधित क्रम सं0 2 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	इलैक्ट्रानिक मैकेनिक	7242.10 7242.90 7243.10 7243.40 8283.90	लोप किया गया	दो वर्ष	इलैक्ट्रानिक मैकेनिक	एक वर्ष	10+2 शिक्षा के पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण।"।

- (ख) अनुसूची 1ख में,
 (अ) "व्यवसाय शिक्षुओं के प्रवर्ग में व्यवसाय" से संबंधित स्तंभ 4 में:--
 (i) "फिटर" प्रविष्टि के सामने, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि" से संबंधित स्तंभ 5 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (ii) "टर्नर" प्रविष्टि के सामने, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि" से संबंधित स्तंभ 5 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (iii) "इलैक्ट्रीशियन" प्रविष्टि के सामने, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि" से संबंधित स्तंभ 5 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (iv) "मैकेनिक (मोटरयान) प्रविष्टि के सामने, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि" से संबंधित स्तंभ 5 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (v) "इलैक्ट्रानिक मैकेनिक" प्रविष्टि के सामने, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि" से संबंधित स्तंभ 5 में उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (आ) स्तंभ 4 में "शिक्षु खाद्य उत्पादन (साधारण)" प्रविष्टि के स्थान पर और उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि में, स्तंभ 5 में "2½ वर्ष" जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः, "खाद्य उत्पादन साधारण" और "1 वर्ष और 3 मास" प्रविष्टियां रखी जाएगी।

[फा.सं.एमएसडीई-2(3)/2015-एपी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 अगस्त, 1992 में सा.का.नि. संख्यांक 356 तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 502(अ), तारीख 18 जून, 2015 अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2016

G.S.R. 198(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 2016.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992 –
 - (a) in Schedule I, –
 - (i) in Group No.1, relating to the "Machine shop trades group:" against serial numbers 1 and 2 and the entries related thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Designated Trades	N.C.O. Code No.	Omitted vide G.S.R 502(E) dated 18 th June, 2015	Period of Apprenticeship Training	Relevant ITI trades/ Apprenticeship Trades	Rebate allowed in Apprenticeship Training	Essential/ Desirable Educational Qualifications
1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	Fitter	7233.10 7233.20	Omitted	Two years	Fitter	One year	Passed 10th class examination with Science and Mathematics under 10+2 system of education or its equivalent.
2.	Turner	8211.15	Omitted	Two years	Turner	One year	Passed 10th class examination with Science and Mathematics under 10+2 system of education or its equivalent.”;

(ii) in Group No.4, relating to the “Electrical trades group:” against serial number 1 and the entries related thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	Electrician	7137.10 7241.20	Omitted	Two years	Electrician	One year	Passed 10th class examination with Science and Mathematics under 10+2 system of education or its equivalent.”;

(iii) in Group No.10, relating to the “Heat Engines Trades Group:”, against serial number 1 and the entries related thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"1.	Mechanic Motor Vehicle	7231.10	Omitted	Two years	Mechanic Motor Vehicle	One year	Passed 10th class examination with Science and Mathematics under 10+2 system of education or its equivalent.”;

(iv) in Group No.15, relating to the “Hotel and Catering Trades Group:”, against serial number 1 and the entries related thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
“1.	Food Production General	1217	Omitted	Two years	Food Production General	One year	Passed 8 th class examination or its equivalent.”;

(v) in Group No.23, relating to the “Electronics Trades Group:”, against serial number 2 and the entries related thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3				4	5	6	7	8
“1	Electronics Mechanic	7242.10 8283.90	7242.90	7243.10	7243.40	Omitted	Two years	Electronics Mechanic	One year	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.”;

(b) in Schedule IB, –

(A) in column 4 relating to “Trade(s) in the category of Trade Apprentices”, -

- (i) against the entry “Fitter” wherever it occurs, for its corresponding entry in column 5 relating to “Period of Apprenticeship Training”, for the entry “ 2 years” wherever they occur, the entry “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted;
- (ii) against the entry “Turner” wherever it occurs, for its corresponding entry in column 5 relating to “Period of Apprenticeship Training”, for the entry “ 2 years” wherever they occur, the entry “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted;
- (iii) against the entry “Electrician” wherever it occurs, for its corresponding entry in column 5 relating to “Period of Apprenticeship Training”, for the entry “ 2 years” wherever they occur, the entry “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted;
- (iv) against the entry “Mechanic (Motor Vehicle)” wherever it occurs, for its corresponding entry in column 5 relating to “Period of Apprenticeship Training”, for the entry “ 2 years” wherever they occur, the entry “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted;
- (v) against the entry “Electronics Mechanic” wherever it occurs, for its corresponding entry in column 5 relating to “Period of Apprenticeship Training”, for the entry “ 2 years” wherever they occur, the entry “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted;

- (B) In column 4, for the entry “Apprentice Food Production (General)” and for its corresponding entry “2 ½ years” in column 5 wherever they occur, the entries “ Food Production General” and “ 1 year and 3 months” shall, respectively, be substituted.

[No. MSDE-2(3)/2015-AP]

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 vide notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide notification number G.S.R. 502(E), dated the 18th June, 2015.